न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्याः 07/2017
दर्ज दिनांकः 10/04/2017
निर्णय दिनांक : 22/02/2018

मनीष अग्रवाल पुत्र रमेश चंद अग्रवाल जाति महाजन, निवासीः मकान नंबर 13/77, मानसरोवर, जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रंगलाल जाट पुत्र सांवताराम जाट जाति जाट, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. सुनील अग्रवाल पुत्र रामनारायण जाति महाजन, निवासीः प्लॉट नंबर 31/63/12 स्वर्ण पथ मानसरोवर, जयपुर।
3. तहसीलदार तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. उपपंजीयक फागी, जयपुर।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नियुक्त किये जाने रिसीवर

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी/वादी ने उपरोक्त उनवानी वाद मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूरी पूरी आशा है। आराजी खसरा नंबर 6412, 6415, 6416, 6418, 6427, 6433/1, 6434, 6437, 6439, 6440, 6454, 6458 कुल किता 12 कुल रकबा 38 बीघा 03 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसके प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 सहखातेदार काश्तकार है और मौके पर बाहमी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने विवादित भूमि पूर्व खातेदारान से क्रय की है एवं क्रय करने के पश्चात् उपरोक्त भूमि की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है एवं दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अनुसार

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी के द्वारा भूमि क्रय करने के पश्चात् मौके पर अपनें हिस्से पर काबिज होकर उसके द्वारा अपने हिस्सें को काफी उन्नत व विकसित कर लिया है जिस बाबत प्रार्थी ने अपने हिस्से पर काफी पैसा खर्च किया है एवं अपने हिस्से को लगातार काश्त करता चला आ रहा है लेकिन पिछले कुछ समय से अप्रार्थीगण की नियत में फितुर उत्पन्न होने लगा है और वे प्रार्थी के हिस्से में मजाहमत करने लगे है एवं जबरन अच्छी भूमि देखकर प्रार्थी के हिस्से पर कब्जा करने पर उतारू है। प्रार्थी के द्वारा अभी फसल श्रावणु में अपने हिस्से में काश्त करने लगा तो अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को उसके हिस्से में काश्त करने में आनाकानी करने लगे एवं अप्रार्थीगण के द्वारा कहा गया कि भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है प्रार्थी को उसके हिस्से में काश्त नहीं करने देंगे एवं जहां प्रार्थी काश्त कर रहा है वह हिस्सा उनका है अप्रार्थीगण के उक्त कथन पर प्रार्थी को बडा आश्चर्य हुआ और प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से कहा कि जब आपसी सहमति से मौके पर काश्त करते चले आ रहे है उसी अनुसार भूमि का विभाजन करा लेवे जिस पर भी अच्छी व उपजाऊ भूमि लगेगी उसी पर कब्जा कर काश्त करते ही रहेगे जिसका कि अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। पक्षकारान के मध्य विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है एवं आये दिन काश्त को लेकर लडाई झगडा व विवाद उत्पन्न होने लगा है एवं पक्षकारान सहखातेदार है अप्रार्थीगण जो प्रार्थी के हिस्से में लगातार मजाहमत कर उसे काश्त से वंचित कर रहे है इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभी दिनांक 05.08.2016 को अप्रार्थीगण के द्वारा एकराय होकर जहां प्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है उस हिस्से पर जबरन काश्त करले पर उतारू हो गये एवं प्रार्थी को उसके हिस्से से वंचित करने हेतु प्रार्थी के हिस्से में जबरन काश्त करले लगे इस बाबत प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को ओलमा दिया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी पर काफी आग बबूला हो गये एवं अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि जहां उन्होने काश्त कर दी है वहीं पर काश्त करके ही रहेगे जिससे प्रार्थी उनका कुछ नहीं बिगाड सकता है जिस पर प्रार्थी के द्वारा वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसमे मान्य न्यायालय के द्वारा अंतरिम आदेश पारित करते हुये मौके व रिकॉर्ड की यथस्थिति बाबत आदेश प्रदान किये जो आज तक प्रभावी है। अप्रार्थीगण के हौसले काफी बुलन्द है और उन्होने नाजायज संगठन बना रखा है जो प्रार्थी सहखातेदार

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 02.02.2018 को वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से पैरोकार राज0 ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने से इंकार किया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थना पत्र, वाद पत्रावली इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजीयात के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। पक्षकारान के मध्य आराजीयात हेतु तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है तथा विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.08.2016 को स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। इसी दौरान दोनों पक्षों के मध्य कब्जे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है।

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आराजीयात में सहखातेदार है। पक्षकारान के मध्य कब्जे के संबंध में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, पक्षकारान में शांति बनी रहें एवं प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ मेरे द्वारा न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 6412, 6415, 6416, 6418, 6427, 6433/1, 6434, 6437, 6439, 6440, 6454, 6458 कुल किता 12 कुल रकबा 38 बीघा 03 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी जिला जयपुर की आराजीयात पर तहसीलदार फागी को रिसीवर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उक्त आराजीयात को स्वयं राज कब्जे में लेकर काश्त कि व्यवस्था करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/02/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

है उसके काश्त करने में लगातार मजाहमत कर रहे है तथा मान्य न्यायालय का स्थगन के बावजूद भी यहां प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज है, से बेदखल कर उसके हिस्से पर जबरन काश्त कर दी। प्रार्थी विवादित भूमि का सहखातेदार है और अपने हिस्से में लगातार काश्त करता चला आ रहा है अप्रार्थीगण भूमि के सहखातेदार है एक सहखातेदर को दूसरे सहखातेदार के काश्त में मजाहमत करने का अधिकार नहीं है लेकिन बावजूद भी अप्रार्थीगण के हौसले काफी बुलन्द है और वे कानून की कोई परवाह नहीं करते हुये प्रार्थी को काश्त नहीं करने दे रहे है और प्रार्थी के द्वारा उसके हिस्से में फसल काश्त की है जिसको अप्रार्थीगण जबरन अभी दिनांक 20.03.2017 को काटने लगे तो प्रार्थी के द्वारा विरोध किया गया तो अप्रार्थीगण ने कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कि वे प्रार्थी को काश्त नहीं करने देगे और जो फसल काश्त की है वह काटेगे। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यो से प्रार्थी को अपने हिस्से में काश्त करना बडा मुश्किल हो गया है और काश्त करने से पूर्ण वंचित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण के उक्त कृत्यो से प्रार्थी अपना हिस्सा काश्त करने में पूर्ण वंचित हो गया है और अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी के हिस्सें पर जबरन काश्त कर फसल काट ली गई है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के लिये आवश्यक हुआ कि वह विवादित भूमि पर रिसीवर कायम करावे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण सहखातेदार है जिसमें प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन हर इंच पर कब्जा माना जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थी को पूर्ण रूप से काश्त से वंचित कर उसके हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया है ऐसी स्थिति में प्रोपर्टी इन मिडियो है जिसके लिये रिसीवर कायम किया जावे। दोनों पक्षकार के मध्य अपने अपने हिस्सें को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न है तथा झगडा फिसाद होकर काफी अशांति कायम हो सकती है जिसमे प्रॉपर्टी इन मिडियो है जिसकें लिये रिसीवर कायम किया जावे जिससे पक्षकारान के मध्य शांति कायम हो सके।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर खसरा नंबर 6412, 6415, 6416, 6418, 6427, 6433/1, 6434, 6437, 6439, 6440, 6454, 6458 कुल किता 12 कुल रकबा 38 बीघा 03 बिस्वा की भूमि वाके ग्राम फागी पश्चिम तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जाकर तहसीलदार/थानाधिकारी फागी को आदेश प्रदान किया जावे कि विवादित भूमि को अपने कब्जेराज लेकर काश्त की व्यवस्था करावे।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)